आवारा पशु

द्वारा:(मनीष कुमार v-19-03-018)

आवारा मवेशियों में गाय, बैल या बछड़े मुख्य रूप से शामिल **होते** हैं जिन्हें अनुत्पादक होने के कारण छोड़ दिया जाता है। इनमें कम दूध देने वाली गाय भी शामिल हैं.,समस्या इस कदर विकराल हो चुकी है कि छुट्टा मवेशियों को गोशालाओं में रखना पर्याप्त नहीं है। यही वजह है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत बनी गोशालाएं अधिक प्रभावी नहीं हो पा रही हैं। पशुधन जनगणना बताती है कि आवारा मवेशियों की सबसे अधिक आबादी वाले 10 राज्यों में से सात में 2012 से 2019 के बीच इनकी संख्य बढ़ी है।

पशु आवारा क्यों बनते है?

1) जब पशुओं से होने वाले लाभ उनके मालिको को कम दिखाई देते है तो लोग उनको खुला छोड़ देते है
2) या जब इनके मालिक अपने काम में व्यस्त होने के कारण या शहर में रहने के कारण इनको दिन में चरने के लिए खुला छोड़ देते है
3) पिछले कुछ दशकों में स्वदेशी मवेशियों की उपेक्षा हुई है और क्रॉसब्रीडिंग (संकर) पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। मशीनीकरण बढ़ने व गोहत्या पर राष्ट्रीय प्रतिबंध ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है।
4) जब ग़रीब लोगो के दुँरा पशुओं के खाने का खर्चा नी उठाया जाता है
5) हॉट सिटी में अवैध रूप से सक्रिय डेयरी संचालक दिन में गाय व भैंस को चारे के लिए खुला छोड़ देते हैं।

आवारा पशुओं से होने वाले नुकशान:

1) आवारा मवेशी शहरों में यातायात की परेशानी का कारण बनते हैं.
2) गांवों में फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं।
3) सड़क से गुजरते लोगो के लिए परेशानी पैदा करते है .
4) आवारा पशु यातायात को बाधित करते है जिससे सड़क दुर्घटनाएँ होती है और यातायात जाम भी हो जाता है।
5) आवारा पशुपक्षी अपने मल-मूत्र से गाँव और शहर को अस्वच्छ करते है । इस से कई बीमारियाँ फेलने का खतरा होता है ।
6) पशु अपना पेट भरने के लिए खेतों में जाते है और किसानो की फसलों को खराब कर देते है

विभाग द्वारा आवारा पशुओं के पुनर्वास हेतु किए जा रहें प्रयास:

1) प्रदेश में वर्तमान में 56 गोसदन है जिनमें पशुओं को रखने की क्षमता है तथा इस समय 4185 पशुओं को आश्रय दिया जा रहा है
2) अधिक संख्या में आवारा पशुओं को आश्रय देने हेतु सरकारी गोसदन खज्जिया ज़िला काँगड़ा में 500 पशुओं के रख रखाव हेतु हिमुडा को 1.75 करोड़ रुपये की राशि निर्माण कार्य हेतु प्रदान की गई है| इस गोसदन में शेडों तथा स्टोर निर्माण का कार्य पूर्ण हो चूका है तथ पानी की व्यवस्था की जा रही है
3) पशु पालन विभाग द्वारा प्रदेश में ज़िला सोलन, शिमला, हमीरपुर, काँगड़ा, चम्बा, तथा ऊना में पशुओं पंजीकरण किया जा चूका है| प्रदेश सरकार द्वारा बाकि के 6 जिलों में भी पशु पंजीकरण का कार्य आरंभ करने की स्वीकृति प्रदान कई जा चुकी है|

4) विभाग द्वारा प्रदेश की पहाड़ी नस्ल की गायों के सरक्षण हेतु पालमपुर में पहाड़ी गाय प्रजनन प्रक्षेत्र स्थापित करने का कार्य आरंभ किया गया है| इस प्रक्षेत्र में शुद्ध पहाड़ी नस्ल की गायों को संरक्षित करके उनके विभिन्न गुणों का अध्ययन किया जाएगा ताकि इस नस्ल को प्रदेश की मान्यता प्राप्त नस्ल घोषित करवाया जा सके|
5) हिमचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट, 1994 को संशोधित किया गया जिसके अनुसार पशु को आवारा छोड़ना तक अपराध जिसके लिए पहली बार 300 रूपये तथा दूसरी बार 500 रूपये जुर्माना होता है|

आवारा मवेशियों की समस्या दूर करने के कई सरकारी प्रयासों के बावजूद यह खत्म नहीं हुई है। अंत: केंद्र को आवारा मवेशियों को कम करने के लिए अपनी रणनीति को व्यापक बनाने की जरूरत है। सबसे पहले मवेशियों की अपनी समझ में सुधार की जरूरत है। खासकर उन उपेक्षित नस्लों को समझना जरूरी है जिन्हें लोकप्रिय नस्लों के सामने दरकिनार किया गया है.

संपूर्ण समाधान:

1) मवेशियों की कुल आबादी के 70 प्रतिशत से अधिक हिस्से (क्रॉसब्रीड एवं नॉन डिस्क्रिप्ट) पर आवारा अथवा परित्याज्य होने का खतरा मंडरा रहा है। इसको रोकने का पहला उपाय यह हो सकता है कि हम तुरंत देसी और विदेशी मवेशियों की क्रॉसब्रीडिंग पर रोक लगा दें। शोध संस्थानों को इसके बजाय देसी नस्लों के वीर्य का इस्तेमाल करना चाहिए।
2) मवेशियों पर एक चिप लगाई जाएगी जिसमें उनके मालिकों की जानकारी होगी। इस चिप का उपयोग करते हुए अधिकारी मवेशी के मालिकों का पता लगा सकेंगे
3) आवारा पशुओं को रखने के लिए जगह जगह पर शालाये बननी चाहिए
4) रेडियो , टेलिविजन , समाचार पत्र आदि संचार के साधनो के माध्यम से लोगो मे इस समस्या के प्रति जागरूकता फेलाना चाहिए।

निष्कर्ष:

अंत: केंद्र को आवारा मवेशियों को कम करने के लिए अपनी रणनीति को व्यापक बनाने की जरूरत है। सबसे पहले मवेशियों की अपनी समझ में सुधार की जरूरत है। खासकर उन उपेक्षित नस्लों को समझना जरूरी है जिन्हें लोकप्रिय नस्लों के सामने दरकिनार किया गया है.